Office of the Cantonment Board Chakrata Cantt.
कार्यालय छावनी परिषद चकराता
फोन/Phone: 01360- 272220, फैक्स/Fax 01360- 272502
Email- ceochak-stats@nic.in

File No. / फाइल संख्या –8/2/CFB/V	दिनांक /Dated 06 Feb./ फ़रवरी, 2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा चकराता छावनी में स्थित दुकान निकट मैन आक्ट्राई पोस्ट, सदर बाजार, चकराता की नीलामी भारत सरकार के पोर्टल **https://eauction.gov.in** के माध्यम से निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जा रही है:-

क्रम संख्या	नीलामी कार्यक्रम	दिनाँक	समय (भारतीय मानक समयानुसार)
1	ई-नीलामी पोर्टल https://eauction.gov.in/eauction/#/ एवं समाचार पत्र में ई-नीलामी सूचना की प्रकाशन तिथि	07-02-2024	1200 hrs
2	बोलीदाताओं द्वारा बोली-पूर्व बैठक/साइट निरीक्षण	09-02-2024	1200 hrs.
3	बोली की निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि	14-02-2024	1100 hrs.
4	बोली की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (तकनीकी दस्तावेज अपलोड करना)	05-03-2024	1700 hrs.
5	नीलामी की बोली स्वीकृत करने की प्रारम्भ तिथि	08-03-2024	1100 hrs.
6	नीलामी की बोली स्वीकृत करने की अंतिम तिथि	14-03-2024	1700 hrs.
7	ई-नीलामी प्रारम्भ तिथि	19-03-2024	1100 hrs.
8	ई-नीलामी अंतिम तिथि	26-03-2024	1700 hrs.

नियम और शर्तें

1. किसी भी दुकान के लिए आवेदन केवल भारत सरकार के पोर्टल **https://eauction.gov.in** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी माध्यम से किया गया आवेदन मान्य नही होगा ।

2. इच्छुक व्यक्ति को बोली देने से पहले पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि नम्नलिखित दस्तावेजों सहित 05-03--2024 को सांय 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवानी होगी व इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि भारत सरकार के पोर्टल **https://eauction.gov.in** पर डालनी होगी।

    1. छावनी परिषद् के राजस्व अधीक्षक द्वारा निर्गत No Dues प्रमाणपत्र की प्रति
    2. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की प्रतिलिपि
    3. आवेदक के PAN की प्रतिलिपि
    4 आवेदक का GST registration (यदि उपलब्ध हो)
    5. आवेदक स्थानीय जनजातीय समुदाय से होना चाहिए, इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करे।
    6. आवेदक को वास्तविकता में अंतिम 5 या उस से अधिक वर्षो से चकराता जनजातीय क्षेत्र ने निवासरत होना चाहिए, , इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करे।
    7. आवेदक के कोई व्यावसायिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए।इस सम्बन्ध में नोटरीकृत हलफनामा अपलोड करे।
    8. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/थाना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करे
    9. आवेदक का कैंट बोर्ड कर्मचारी से कोई खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में नोटरीकृत हलफनामा अपलोड करे।

3. बोली शुल्क तथा धरोहर राशि की दरें निम्न प्रकार होंगी

क्रम संख्या	दुकान का स्थान	बोली शुल्क रूपये	धरोहर राशि रूपये	न्यूनतम बोली राशि (मासिक) व बोली में न्यूनतम वृद्धि 500/- रूपये प्रतिबोली
01.	दुकान निकट मैन आक्ट्राई पोस्ट, सदर बाजार, चकराता	500/-	20,000/-	4,000/-

4. उपरोक्त पंजीकरण शुल्क व धरोहर राशि आवेदक द्वारा ई-छावनी के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवानी होगी ।

5. इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक दुकान के लिए भारत सरकार के ई-पोर्टल पर अलग से आवेदन करना होगा व आवेदन के लिए पंजीकरण शुल्क व धरोहर राशि का भुगतान उपरोक्त क्रम सख्या 3 में दर्शाये गए टेबल के अनुसार करना होगा।

6. दिनांक 05-03-2024 को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी की जाएगी व हर प्रकार से पूर्ण आवेदन को ही बोली देने की अनुमति होगी, जिसकी सूचना दिनांक 14-03-2024 तक ई-पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी ।

7. बोली द्वारा दी गई लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि तीन वर्षो की होगी जिसको अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है व सफल बोलीदाता को छावनी परिषद् चकराता को नीलामी राशि का भुगतान हर साल के शुरूआत में अग्रिम रूप से करना होगा ।

8. सफल बोली दाता को बोली की एक वर्ष पूरी राशि जमानत के रूप में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर ऑनलाइन जमानत राशि के रूप में जमा करवानी होगी । यह जमानत की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक यह लीज़ समाप्त नहीं हो जाती, जमानत की राशि को 100/- रूपये की निकटतम राशि में स्वीकार किया जायेगा।

9. अधिकतम बोली अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जायेगी जो कि उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक छावनी परिषद् चकराता द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता। छावनी परिषद्, चकराता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है उस स्थिति में अधिकतम बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी ।

10. अधिकतम बोलीदाता को छावनी परिषद्, चकराता के साथ उपयुक्त कीमत का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (एग्रीमैन्ट) करना होगा । यह अनुबन्ध उसे उसकी बोली की स्वीकृति की पुष्टि की सूचना के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर करना होगा ।

11. उक्त दुकान का उपयोग केवल दफ्तर/शॉप इत्यादी के रूप में ही होगा ।

12. इस सार्वजनिक सूचना पत्र में वर्णित शर्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी ।

13. अधिकतम बोलीदाता उपरोक्त दुकान में अपने हितों को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या अंशत: उप पट्टे (Subletting) पर देने का हकदार नहीं है चाहे वह उप-पट्टे के रूप में हो या अन्यथा ।

14. अधिकतम बोलीदाता को दुकान और इसके आस-पास की जगह को साफ और स्वच्छ रखेगा ताकि यात्रियों और आस-पास के लोगों को कोई असुविधा न हों। वह छावनी परिषद् के सभी नियमों तथा उप-नियमों का पालन करेगा, उसे सभी प्रकार के करों, लाईसैंस फीस जो कि किसी विधिसंगत प्राधिकार द्वारा लगाए गए हों, की अदायगी करनी होगी।

15. अधिकतम बोलीदाता उपरोक्त दुकान में अधोहस्ताक्षरी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा ।

16. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद्, चकराता का ऋणी है,को बोली देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

17. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद् चकराता के किसी भी अन्य सम्पति पपर अनाधिकृत कब्ज़ा है उसे बोली में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

18. मुख्य अधिशासी अधिकारी, चकराता किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है यदि वह बोली कम समझी जाती है, उस स्थिति में बोलीदाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई पूरी राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा ।

R.S

19. (i) यदि बोलीदाता बोली देने के पश्चात बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

(ii) यदि सफल बोलीदाता नीलामी की शर्तों से पीछे हटता है या अपने द्वारा दी गई अधिकतम बोली को किसी भी समय अस्वीकार करता है या दुकान को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमानत की पूरी राशि तथा उस वर्ष के लिए दी गई लीज़ रैन्ट की पूरी राशि जब्त कर ली जायेगी ।

20. यदि सफल बोलीदाता बोली देकर बोली की राशि जमा नही करवाता है तो वह भविष्य में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा करवाई जाने वाली किसी भी नीलामी में अगले पांच वर्षो तक हिस्सा/भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

21. उपरोक्त नीलामी का संचालन भारत सरकार द्वारा **https://eauction.gov.in** के लिए तय की गई नियम व शर्तों के अनुसार होगा ।

22. सफल बोलीदाता कोई भी व्यवसाय छावनी परिषद् द्वारा निर्गत किये गए लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद ही शुरू करेगा।

23. सभी भुगतान/फीस केवल ई-छावनी पोर्टल https://echhawani.gov.in/citizen/user/login के माध्यम से जमा होंगे।

(आर.एन. मण्डल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् चकराता

1.राजस्व अधीक्षक, चकराता छावनी-	ई-नीलामी से सम्बंधित समस्त कार्यवाही नियमानुसार संपन्न
2.सफाई निरीक्षक, चकराता छावनी, -	समस्त छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु।